न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल –। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/42/2015

भानु कुमार उम्र 31 पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी पिया विहार, गोविन्दपुरा से निवारू लिंक रोड सुभम गार्डन के पास, राधव चैम्बर के पीछे, जयपुर एवं प्लॉट नम्बर 30, ग्रीन पार्क कॉलोनी, कौशिक स्कूल के पास बाईपास बैनाड रोड, जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय श्री रामकिशोर शर्मा
2. जीतू पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा

   जाति ब्रहम्ण, निवासीगण ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर व प्लॉट नम्बर 190, गोविन्दपुरा लिंक रोड, सुभम गार्डन के पास जयपुर।
3. कृष्णा शर्मा पत्नि अजय शर्मा पुत्री श्री प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासनी प्लॉट नम्बर 7–ए,कनक विहार विस्तार, कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास,जयपुर।
4. किरण शर्मा पत्नि श्री शिवकुमार शर्मा पुत्री श्री प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासनी श्याम कॉलोनी दोलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. माया गौतम पुत्री श्री प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासनी ए–2 चित्रकुट, सेक्टर 2, बिल्डिंग नम्बर 384, स्टेडियम के पास, चन्दाराम द्वार जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 05/03/2020

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.43 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 1651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1659 रकबा 1.45 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर, ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू–अभि. नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात पर पूर्वजों के समय से वादी व प्रतिवादीगण के परिवार के लोगो का कब्जा चला आ रहा है। तथा राजस्व

रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में पूर्वजों का नाम दर्ज होकर उनको समस्त खातेदारी अधिकार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्राप्त रहे है। वर्तमान जमाबंदी मे उक्त आराजीयात मे वादी के दादा रामकिशोर का नाम बतौर खातेदार अन्य सह-खातेदारान के साथ चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे उसका व उसके भाई रामजीलाल को 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा वादी के दादा को उक्त आराजीयात मे से 1/6 हिस्से बाबत समस्त खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त थे। वादी के दादा रामकिशोर का स्वर्गवास हो चुका है। अपने कानूनन वरिसान के रूप मे 4 पुत्रों क्रमशः प्रहलाद, सीताराम, मुरारीलाल, ओमप्रकाश व मोहन को छोडा है। इस प्रकार स्वर्गीय रामकिशोर के 1/6 हिस्से मे से प्रत्येक पुत्र का 1/5 वां हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में रामकिशोर के प्रत्येक पुत्र का 1/30 वां हिस्सा कानूनन बनता है। वादी के दादा रामकिशोर का स्वर्गवास होने के पश्चात अभी तक वारिसान नामान्तकरण उनके उनके पुत्रों विपक्षी नम्बर 1 व अन्य के नाम से नही खुला है। तथा मृतक रामकिशोर के सभी वारिसान का आपसी सहमति के आधार पर उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, तथा वह मृतक द्वारा छोडी गई भूमि का उपयोग उपभोग अपने अपने परिवार सहित करते चला आ रहें है। आराजीयात पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण वादी का जन्म से उक्त आराजीयात पर कानूनन हक व अधिकार है। वादी को दिनांक 01.05.2015 को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 स्व. रामकिशोर द्वारा अपने हिस्से की छोडी भूमि का अन्य भाईयों के साथ मिलकर वारिसान नमान्तकरण खुलवाकर उसके आधार पर भूमि खुर्दबुर्द करने को आमादा है। जिसका कि उसको कोई हक व अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी अपने उक्त कृत्य में सफल हो जावेगें तो वादी जन्म से प्राप्त हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा उसको ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव न हो सकेगी।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित आराजीयात में स्व. रामकिशोर के वारिस के रूप में नामान्तकरण खुलवाकर उसकी आड में उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग को अपनी होना बताकर किसी को भी रहन, बैय, बख्शीश नही करे, ना ही इस संबंध में किसी भी किस्म का कोई भी दस्तावेज किसी के भी हक में तहरीर व तकमील नही करें, ना ही पंजीयन करवावें, ना ही भूमि का कब्जा किसी भी रूप में ट्रांसफर करें, ना ही भूमि की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करें, ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.43 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 1651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1659 रकबा 1.45 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (पूर्व)

रकबा 2.37 हैक्टेयर, ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू-अभि. नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के दादा स्व0 रामकिशोर के 1/6 हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का प्रत्येक का बराबर 1/36 वां हिस्सा है तथा वादी को 1/36 वा हिस्से बाबत् समस्त हक व अधिकार खातेदारी काश्तकारी प्राप्त है तथा वादी राजस्व रिकॉर्ड में 1/36 वॉ हिस्सा खातेदार के रूप में अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में स्व0 रामकिशोर के वारिस के रूप में नामांतकरण खुलवाकर उसकी आड में उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग को अपनी होना बताकर किसी को भी रहन, बैय, बख्शीश नही करे तथा अन्य किसी प्रकार खुर्दबुर्द व भारयुक्त नही करे, ना ही इस संबंध में किसी भी किस्म का कोई भी दस्तावेज किसी के भी हक में तहरीर व तकमील नही करें, ना ही पंजीयन करवावें, ना ही भूमि का कब्जा किसी भी रूप में ट्रांसफर करें, ना ही भूमि की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें। प्रतिवादी संख्या 6 को पाबंद किया जावे कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को वारिसान के रूप में प्राप्त होने वाले हिस्से को अन्य किसी के नाम ट्रांसफर नही करें, ना ही इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का इन्द्राज करे, ना ही ऐसा अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी आदि से करवावें।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर की प्रमाणित प्रति राशन कार्ड श्री प्रहलाद शर्मा कर फोटो प्रति पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के गैरहाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 6 को जवाब दावे हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 6 को जवाब बंद किया गया।

पत्रावली में वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में वकील वादी ने अपने वाद में वर्णित कथनो का विवेचन किया गया।

बहस पर बगौर मनन किया जाकर पत्रावली का मय प्रस्तुत रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सत्य प्रति जमाबंदी संवत् 2067-70 से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1649, 1651, 1652, 1659 पर घनश्याम पुत्र दुर्गालाल प्रसाद, रामकिशोर रामजीलाल पुत्र रामप्रसाद, सियाशरण पुत्र शिव प्रसाद जाति ब्राह्मण सा0 देह बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने स्वयं को रामकिशोर का वारिस एवं

वादग्रस्त आराजीयात को पुश्तैनी आराजी होने का कथन करते हुये प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम तो वादी की ओर से कोई ऐसा असल दस्तावेज/सत्यापित/प्रमाणित प्रति पेश नही की जिससे यह सिद्व होता है। कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदार रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद प्रार्थी के दादा है। वादी द्वारा दस्तावेजात सुची के साथ रामकिशोर का जो मृत्यु-प्रमाण पत्र पेश किया गया है उसमें रामकिशोर के पिता का नाम नारायण लाल अंकित है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के संबंध में भी कोई अभिलेख/दस्तावेज पेश नही किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जो असत्यापित फोटो कॉपी अप्रार्थी संख्या 1 के राशन कार्ड की प्रति पेश की गई है। उनसे रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद की पहचान प्रमाणित नही होती है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में वादी अपने वाद पत्र में वर्णित कथनो को प्रमाणित करने में सफल नही हो सका है। ऐसे में वादी का वाद तथ्यपरक न होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है। अतः खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।** (आर.ए.एस.)

भानु कुमार

बनाम

प्रहलाद वगै.

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2015/42

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी अपने वाद पत्र में वर्णित कथनो को प्रमाणित करने में सफल नही हो सका है। ऐसे में वादी का वाद तथ्यपरक न होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है। अतः खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.03.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक		00	मीजान		
मीजान					

सहायक कलक्टर